

रामेश्वरी पत्नी रूड़मल जाति कुम्हार साकिन परलीका तहसील नोहर । -अपीलाण्ट

बनाम

1. पोकर राम पुत्र नत्थूराम जाति मेघवंशी मृतक जरिये वारिसान
1/1 विरमा देवी पत्नी
1/2 सुखराम पुत्र
1/3 सुभाष पुत्र
1/4 विनोद पुत्र
1/5 इमरती पुत्री पोकर राम जाति मेघवंशी साकिन परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. कुशलाराम पुत्र नत्थूराम जाति मेघवंशी साकिन परलीका तहसील नोहर।

पोकर राम जाति मेघवंशी साकिन परलीका
परलीका तहसील नोहर

-रेस्पोडेण्ट

विरुद्ध आदेश दिनांक 24.05.2017 उपखण्ड अधिकारी नोहर, जिला हनुमानगढ़ प्रकरण संख्या 26/2015 बअनवानी रामेश्वरी बनाम पोकर

श्री विजयसिंह कडवासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 से 1/4
श्री हवासिंह पुनीया अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2

निर्णय

दिनांक:-30.04.2019


सत्यमेव जयते

1. उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अपीलार्थीया ने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र में अपनी भूमि में आवागमन हेतु गैर सालान की भूमि चक 2 आरएमजी तहसील नोहर पत्थर नम्बर 361/413 मुरब्बा नम्बर 62 किला नं. 11 में से दक्षिण किनारे पश्चिम से पूर्व 1 बिस्वा में रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीया की भूमि में आने जाने के लिए मांगा गया रास्ता सही निकटतम एवं सुविधा जनक है। विचारण न्यायालय ने प. नं. 361/413 (62) के किला नं. 21, 22, 23 में पश्चिम से पूर्व में सुविधाजनक माना है जो पत्थर लाईन पर है, मगर सायला के खेत में गांव आथूणा की तरफ पड़ता है तथा सायल परीलीका गुडिया सड़क से चलकर मंजूरशुदा रास्ता से चलकर अपने खेत के लिए मु. नं. 62 के किला नं. 11 के दक्षिणी किनारे पश्चिम पूर्व मौका व नक्शा के अनुसार सुविधाजनक व नजदीकी है। यदि किला नं. 21, 22, 23 से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो वह लम्बा रास्ता होगा और असुविधा

४३

जनक होगा। मगर नातहत अदालत ने रास्ता जैसी अहम सुविधा पर कोई मनन ना करते हुए अपीलांट को नियम विरुद्ध रास्ता की सुविधा से वंचित किया है। प्रश्नगत आदेश कैम्प कोर्ट में अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय आ आदेश निरस्त कर रास्ता स्वीकृत किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट सुविधाजनक रास्ता चाहता है। रास्ता मुरब्बा के बीच से प्रार्थी चाहता है जबकि रास्ता पत्थर लाईन के साथ साथ ही स्वीकृत किया जा सकता है। तहसीलदार की रिपोर्ट प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलांट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 14.8. 2017 पेज 515 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।
5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलांट ने अपनी भूमि में जाने के लिए मु. नं. 62 के किला नं. 11 से रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा है। विचारण न्यायालय ने ये अभिनिर्धारित किया है कि सायल को अपनी भूमि में जाने के लिए पत्थर लाईन पर रास्ता उपलब्ध हो सकता है फिर भी पत्थर लाईन पर रास्ता ना मांगा जाकर पत्थर के बीच में से रास्ता मांगा गया है। रास्ता स्वीकृति के समय यह देखा जाता है कि रास्ता पत्थर लाईन पर ही स्वीकृत किया जाना चाहिए लेकिन यह बिन्दू भी विचारणीय होता है रास्ता यदि निकटतम दूरी पर हो, जिसमें रास्ता की भूमि में कम से कम भूमि का उपयोग हो तो रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए। ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलांट को अपनी भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई निकटतम रास्ता है। तहसीलदार की रिपोर्ट में अपीलांट को अपनी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता होने के संबंध में कोई अंकन नहीं है। फिर भी अपीलांट की भूमि के लिए मु. नं. 361/413 (62) किला नं. 11 में ही उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट की गई है उसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया है कि अपीलांट की भूमि के लिए अन्य कोई रास्ता है या नहीं। सिर्फ इतना अंकित किया है कि किला नं. 11 के दक्षिण दिशा से 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता है या नहीं इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं है कि यह रास्ता उचित है या नहीं। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार) में प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रकरण का निस्तारण किया गया है, जिसमें यह अंकित करते हुए कि पत्थर लाईन पर रास्ता उपलब्ध हो सकता है। मांगा गया रास्ता यदि निकटतम है तो यह क्यों नहीं किया जा सकता। सिर्फ पत्थर लाईन का हवाला देते हुए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाना उचित नहीं है। वैसे भी राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार) प्रार्थी की अनुपस्थिति में उसके प्रार्थना-पत्र को इस तरह से सरसरी तौर पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।


राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़(राज०)

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2017 निरस्त किया जाता है। एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर एवं तहसीलदार से विस्तृत रिपोर्ट लेकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.06.2019 को उपस्थित हों। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 सेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

राजस्थान अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (पी.एल.) प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

